(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 125 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

<u>अधिसूचना</u>

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, चेन्नै कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड के वर्तमान दरमान की वैधता संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

<u>महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण</u>

<u>प्रकरण सं. टीएएमपी/19/2006-सीसीटीएल</u>

<u>आ दे श</u>
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित किया गया)

यह प्रकरण चेन्नै पत्तन न्यास स्थित चेन्नै कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड (सीसीटीएल) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है ।

2. वर्तमान दरमान को इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/21/2006-सीसीटीएल दिनांक 28 मार्च 2007 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था और दरमान की वैधता 31 दिसम्बर 2009 तक निर्धारित की गई थी ।

3. सीसीटीएल द्वारा प्रस्तुत प्रशुल्क प्रकरण के रू प में पंजीकृत किया गया है और संबंधित उपयोगकर्त्ताओं के साथ परामर्श के लिए लिया गया है । प्रस्ताव की जाँच-पड़ताल की जा रही है । इसलिए, प्रस्ताव को अंतिम रू प से निपटाने के लिए, इस प्राधिकरण को कुछ और समय लगेगा ।

4. उपरोक्त को देखते हुए और यह मानते हुए कि वर्तमान दरमान की वैधता 31 दिसम्बर 2009 को समाप्त हो गई है, वर्तमान दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर 2009 से आगे बढ़ाना आवश्यक हो गया है । इसलिए, यह प्राधिकरण वर्तमान दरमान की वैधता इसके समाप्त होने की तिथि से 30 सितम्बर 2010 तक अथवा संशोधित दरमान के क्रियान्वयन को प्रभावी तिथि तक, इनमें से जो भी पहले हो, विस्तारित करता है ।

5. 31 दिसम्बर 2009 के बाद वाली अविधि में ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक, यदि कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है, तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूरी तरह समायोजित किया जाएगा ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष